रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/ भाद्रपद 27, 1941
No. 545]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/ BHADRA 27, 1941

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली,18 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 668(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद तथा सहायक पुरातत्वविद समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2006, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह I तथा II राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967, जहां तक इसका संबंध उप-अधीक्षण पुरातत्वविद, अधीक्षण पुरातत्वविद एवं निदेशक (पुरातत्व) पदों से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति विभाग के अंतर्गत अर्थात्, सहायक पुरातत्वविद, सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद, उप अधीक्षण पुरातत्वविद, अधीक्षण पुरातत्वविद और निदेशक (पुरातत्व) के पदों की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, समूह 'क' और समूह 'ख' (पुरातत्वीय पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहर्ताएं, आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं|

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

कोई व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी|

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत,संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
(1) सहायक पुरातत्वविद`	178* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर – 6 (रु. 35400-112400)	लागू नहीं होता।	अधिकतम 30 वर्ष । **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आवेदकों की आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक अर्हताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुरातत्व अथवा भारतीय इतिहास (प्राचीन भारतीय इतिहास अथवा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय/प्रश्न पत्र सहित) अथवा मानव शास्त्र (पाषाण युगीन पुरातत्व के विषय/प्रश्न पत्र सहित) अथवा भूविज्ञान (अभिनूतन भूविज्ञान के के विषय/प्रश्न पत्र सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री **टिप्पण 1**: नियुक्त अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा में रहते हुए पुरातत्व में छः महीने की अवधि का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करना अपेक्षित होगा। **टिप्पण 2**: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 3:** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव से संबंधित अर्हता, लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, चयन के किसी स्तर पर यदि संघ सक्षम प्राधिकारी का विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति याआमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति याआमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य किन्ही परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के अधिकारी: (i) जिन्होंने नियमित आधार पर वर्तमान संवर्ग अथा विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ है, और (ii) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पणी**: (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा भाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	**लागू नहीं होता।**

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (1) अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – अध्यक्ष (2) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य (4) उप निदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद`	33* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-7 (रु. 44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** ऐसे सहायक पुरातत्वविद जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35400-112400) में नियुक्ति के उपरांत पांच वर्षों की नियमित सेवा की है और पुरातत्व में कम से कम छः माह का सेवा-कालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पणी:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (1) अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – अध्यक्ष (2) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) उप अधीक्षण पुरातत्वविद	65* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनतुसचिवीय	स्तर 10 (56100-177500 रु.)	चयन	अधिकतम 35 वर्ष **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आवेदकों की आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक अर्हताएं (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुरातत्व अथवा भारतीय इतिहास (प्राचीन भारतीय इतिहास अथवा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय या प्रश्न पत्र सहित) अथवा पुरातत्व में स्नातकोत्तर या मानव शास्त्र (पाषाण युगीन पुरातत्व के विषय या प्रश्न पत्र सहित) अथवा भूविज्ञान (अभिनूतन भूविज्ञान के विषय या प्रश्न पत्र सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री, और (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम से कम एक वर्ष की अवधि का पुरातत्व में स्नातकोत्तर या उन्नत डिप्लोमा (iii) पुरातत्व के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। **वांछित:** पुरातत्व या भारतीय इतिहास या मानव शास्त्र या भूगर्भशास्त्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डाक्टरेट की उपाधि। **टिप्पण 1:** सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव से संबंधित अर्हता, लिखित रूप में	आयु : नहीं। शैक्षिक अर्हता : हां।	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए 1 वर्ष

कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, चयन के किसी स्तर पर यदि संघ लोक सेवा आयोग का विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, शिथिल की जा सकती हैं।		

(10)	(11)
33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्प कालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति के आधार पर; 67% सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नतिः** ऐसे सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात स्तर-7 (रु. 44900-142400) में तीन वर्षों की नियमित सेवा की है और पुरातत्व के विभिन्न विषयों में कम से कम दो से चार सप्ताह का विभिन्न विषयों पर सेवा-कालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पणी 2**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों अथवा पब्लिक सेक्टर अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने अपने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (रु. 47600-151100) अथवा समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण** 2: प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य (3) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य (4) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति** (1) सचिव/अपरसचिव, संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष (2) अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य (3) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य (4) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) अधीक्षण पुरातत्वविद।	44* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर – 11 (67700-208700 रु.)	चयन।	40 वर्ष से अधिक नहीं; **टिप्पण 1**: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष शिथिल की जा सकेगी। **टिप्पण 2**: आवेदकों की आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक अर्हताएं (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुरातत्व अथवा भारतीय इतिहास (प्राचीन भारतीय इतिहास अथवा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय या प्रश्न पत्र सहित) अथवा मानव शास्त्र (पाषाण युगीन पुरातत्व के विषय या प्रश्न पत्र सहित) अथवा भूविज्ञान (अभिनूतन भूविज्ञान के के विषय या प्रश्न पत्र सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री, और (ii) पुरातत्व या भारतीय इतिहास या मानव शास्त्र या भूगर्भशास्त्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डाक्टरेट की उपाधि।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए 1 वर्ष

(iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम से कम एक वर्ष की अवधि का पुरातत्व में स्नातकोत्तर अथवा उन्नत डिप्लोमा (iv) पुरातत्व क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पणी 2:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव से संबंधित अर्हता, लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, चयन के किसी स्तर पर यदि संघ लोक सेवा आयोग का विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, शिथिल की जा सकती हैं।		

(10)	(11)
75% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्प कालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा; 25% सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** ऐसे उप अधीक्षण पुरातत्वविद जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात स्तर-10 (रु. 56100-177500) में पांच वर्षों की नियमित सेवा की है और पुरातत्व के विभिन्न विषयों में कम से कम 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित):** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों अथवा पब्लिक सेक्टर अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: (क) (I) जिन्होंने अपने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (रु. 56100-177500)अथवा समतुल्य में नियुक्ति के बाद पांच दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिका संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (1) सचिव/अपर सचिव संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य (3) अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य (4) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति** (1) सचिव/अपर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य (3) अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य (4) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य	सीधी भर्ती द्वारा सहित किसी अधिकारी के पद और नियुक्ति की प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा) के आधार पर नियुक्ति के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5) निदेशक (पुरातत्व)।	12* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनतुमचिवीय ।	स्तर – 12 (78800-209200 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा ।	**प्रोन्नति:** ऐसे अधीक्षण पुरातत्वविद जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात स्तर-11 (रु. 67700-208700) में

	पांच वर्षों की नियमित सेवा की है और पुरातत्व में कम से कम दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पणी 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य 4. अपर महानिदेशक अथवा संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 3-1/2018-योजना तथा एचआरडी (आरआर)]

राकेश सिंह लाल, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2019

G.S.R. 668(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Assistant Superintending Archaeologist and Assistant Archaeologist Group 'B' posts, Recruitment Rules, 2006, the Archaeological Survey of India (Class I and II gazetted posts) Recruitment rules, 1967 in so far as it relates to the posts of Deputy Superintending Archaeologist, Superintending Archaeologist and Director (Archaeology) except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Archaeologist, Assistant Superintending Archaeologist, Deputy Superintending Archaeologist, Superintending Archaeologist and Director (Archaeologist) in the Archaeological Survey of India under Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Group 'A' and 'B' (Archaeological posts). Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of the posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. - The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. ---- No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of Post**	**Classification**	**Pay in the pay matrix**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Assistant Archaeologist.	178* (2019) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted Non-Ministerial.	Level 6 (Rs.35400-112400)

Whether Selection post or Non-Selection Post.	**Age limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding 30 years **Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential qualification:** Master degree in Archaeology or Master degree in Indian History (with Ancient Indian History or Medieval Indian History as a subject or paper) or Master degree in Anthropology (with stone-age Archaeology as a subject or paper) or Master degree in Geology (with Pleistocene Geology as a subject or paper) from a recognised University or Institute. **Note 1:** The appointed candidates shall be required to successfully complete an in-service training of duration of six months in Archaeology within the period of probation. **Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct Recruits will apply in case	**Period of Probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**

of promotees.		
(8)	(9)	(10)
Not applicable	2 years	By Direct Recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7. Note: (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.)

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.
(11)
Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public service commission to be consulted in making Recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee: 1. Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India : Chairman 2. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India : Member 3. Director (Administration), Archaeological Survey of India : Member 4. Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India : Member	Consultation with the Union Public Service is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Assistant Superintending Archaeologist.	33* (2019) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44900-142400).

(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion.

(11)
Promotion: Assistant Archaeologist in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years' service in the grade after appointment thereto on regular basis and have successfully completed in-service training in Archaeology of duration of at least six months. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee: 1. Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India : Chairman 2. Joint Director General (Archaeology) Archaeological Survey of India : Member 3. Director (Administration) or Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India : Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Deputy Superintending Archaeologist.	65* (2019) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Level-10 Rs.56100-177500.

(5)	(6)	(7)
Selection.	Not exceeding 35 years **Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential qualification:** (i) Master degree in Archaeology or Master degree in Indian History (with Ancient Indian History or Medieval Indian History as a subject or paper) or Master degree in Anthropology (with stone-age Archaeology as a subject or paper) or Master degree in Geology (with Pleistocene Geology as a subject or paper) from a recognised University or Institute, and (ii) Post graduate or Advanced Diploma in Archaeology of a duration of at least one year from a recognised University or Institute. or (ii) Field experience of at least three years in Archaeology. **Desirable:** Doctorate degree in Archaeology or Indian History or Anthropology or Geology from a recognised University or Institute. **Note 1**:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**:- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to scheduled Castes and

		scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Age: No. Educational qualification: Yes.	One year for direct recruits and Promotees.	33% by Promotion failing which by deputation including short term contract; 67% by direct recruitment.

(11)
Promotion: Assistant Superintending Archaeologist in Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with three years' service in the grade after appointment thereto on regular basis and have successfully completed two to four weeks in-service training in various aspects of Archaeology. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including short term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or Institute or Research Institution: (A)(I) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/ department; or (II) with two years' service rendered after appointment to the post on regular basis in posts in Level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Column No.7. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Culture 3. Additional Director General, Archaeological Survey of India 4. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India **Group 'A' Departmental Confirmation Committee:** 1. Secretary/Additional Secretary, Ministry of Culture 2. Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India 3. Joint Director General (Archaeology) Archaeological Survey of India	 - Chairman - Member - Member - Member - Chairman - Member - Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary.

4. Director (Administration) Archaeological Survey of India - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Superintending Archaeologist.	44* (2019) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Level-11 Rs.67700-208700.

(5)	(6)	(7)
Selection.	Not exceeding 40 years **Note 1**: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2**: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential Qualification:** (i) Master degree in Archaeology or Master degree in Indian History (with Ancient Indian History or Medieval Indian History as a subject or paper) or Master degree in Anthropology (with stone-age Archaeology as a subject or paper) or Master degree in Geology (with Pleistocene Geology as a subject or paper) from a recognised University or Institute, and (ii) Doctorate degree in Archaeology or Indian History or Anthropology or Geology from a recognised University or Institute. (iii) Post graduate or Advanced Diploma in Archaeology of a duration of at least one year from a recognised University or Institute; and (iv) Field experience of at least five years in Archaeology. **Note 1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates belonging to scheduled Castes and scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	1 year for Direct Recruits.	75% by Promotion failing which by Deputation including Short Term contract; 25% by direct recruitment.

(11)
Promotion: Deputy Superintending Archaeologist in Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks training in Archaeology. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such

qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or recognised University or institute or research Institution:

(A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) With five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; and

(B) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Column No.7.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or /Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee: 1. Secretary, Ministry of Culture - Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Culture - Member 3. Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India - Member 4. Joint Director General (Archaeology) Archaeological Survey of India - Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee:** 1. Secretary/Additional Secretary, Ministry of Culture - Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Culture - Member 3. Additional Director General (Administration), Archaeological Survey of India - Member 4. Joint Director General (Archaeology) Archaeological Survey of India - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment to the post and appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Director (Archaeology).	12*(2019) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Level 12 (Rs.78800-209200).

(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion.

(11)
Promotion: Superintending Archaeologist in Level-11(Rs.67700-208700) in the pay matrix with five years' service in the grade after appointment thereto on regular basis and have successfully completed two to four weeks training in Archaeology. **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such

qualifying/ eligibility service.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee: 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman 2.Secretary, Ministry of Culture - Member 3. Director General, Archaeological Survey of India - Member 4. Additional Director General or Joint Director General (Archaeology) - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 3-1/2018-Plg & HRD (RR)]

RAKESH SINGH LAL, Addl. Director General (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.18 19:00:24 +05'30'